डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीनी – **1.बनुदेवी पत्नि गोरधनराम, जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर**

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.मोडा 2.धर्मा 3.भोमा पि.गोरधनराम 4.हनुमानराम 5.चेतनराम पि. राजूराम 6.जेठी पत्नि राजूराम, जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।**
7.मैनेजर शाखा टी.ए.जी.बी.राणीगांव
8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री अनिल गोदारा (प्रतिवादी सं.01)**

वाद बाबत 88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 55/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** ....एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम ईशरोल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 78 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 79 रकबा 164.14 बीघा, खसरा सं. 669/345 रकबा 13.19 बीघा, खसरा सं. 671/345 रकबा 07.18 बीघा, खसरा सं. 695/410 रकबा 14.07 बीघा, कुल रकबा 201.04 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि में वादीनी को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.08.2021 को जारी की गई।

दस्तखत..........................

ओहदा ....

मुहर

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	[illegible]	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			[illegible] ...मा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 55/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

अनवान

वादीनी – 1.बनुदेवी पत्नि गोरधनराम, जाति जाट,
निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.मोडा 2.धर्मा 3.भोमा पि.गोरधनराम 4.हनुमानराम 5.चेतनराम पि. राजूराम 6.जेठी पत्नि राजूराम, जाति जाट, निवासी ईशरोल, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
7.मैनेजर शाखा टी.ए.जी.बी.राणीगांव
8.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – श्री जगदीश पोटलिया
प्रतिवादीगण वकील – श्री अनिल गोदारा (प्रतिवादी सं.01)

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) सत्यमेव जयते ★ चौहटन ★

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 26.08.2021

वादीनी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 स्व. गोरधनराम के विधिक वारिशान है। वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पूर्व पुरूष गोरधनराम के नाम से खेत **खसरा सं. 78 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 79 रकबा 164.14 बीघा, खसरा सं. 669/345 रकबा 13.19 बीघा, खसरा सं. 671/345 रकबा 07.18 बीघा, खसरा सं. 695/410 रकबा 14.07 बीघा, कुल रकबा 201.04 बीघा** भूमि मौजा ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में हुई है। वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पूर्व पुरूष गोरधनराम का करीब 40 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। गोरधनराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने बदमाशी पूर्वक स्वयं को गोरधनराम का वारिश बताकर अपने नाम [illegible] इन्तकरण भरवा दिया। जबकि वादीनी गोरधनराम की विधिक वारिश है [illegible] भूमि में 1/5 हिस्सा की हकदार है। इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में गोरधनराम के स्वर्गवास के बाद वादीनी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/5

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 से 6 का 1/5 हिस्सा बनता है। इसी हिस्सानुसार पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी का हिस्सा दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ने वादग्रस्त खेतों की भूमि का बेचान करने की धमकियां दी । इसलिए वादीनी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में अपना 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित करवाने तथा घोषणा के बाद 1/5 हिस्सा ''बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस'' बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते हुए तावाद फैसला स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी करवाने हेतु यह वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 Rt Act का पेश कर इस्तदुआ चाही है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल गोदारा ने वकालतनामा पेश किया । शेष प्रतिवादीगण सम्मन तामिल बावजूद अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। प्रतिवादी सं. 1 के वकील को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद जवाब पेश नहीं किया अतः जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वादीनी वकील ने वादीनी साक्ष्य में PW-1 वादीनी बनुदेवी तथा PW-2 धर्माराम पुत्र गोरधनराम के बयान कलमबद्ध करवाये। प्रतिवादी सं. 1 के वकील अनुपस्थित अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मैं बंटवाड़ा नहीं करवाना चाहता हूँ अतः वाद में धारा 53 Rt Act विड्रो करता हूँ। वादीनी वकील के निवेदन पर न्यायहित में वाद में धारा 53 Rt Act विड्रो की गई। वादीनी वकील की बहस सुनी गई। वादीनी वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी स्व.गोरधनराम की पत्नि होने से उसकी विधिक वारिश है जिसके आधार पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/5 हिस्सा बनता है। अतः वादग्रस्त भूमि **मौजा ईशरोल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 78 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 79 रकबा 164.14 बीघा, खसरा सं. 669/345 रकबा 13.19 बीघा, खसरा सं. 671/345 रकबा 07.18 बीघा, खसरा सं. 695/410 रकबा 14.07 बीघा, कुल रकबा 201.04 बीघा** में वादीनी का 1/5 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे [illegible] होता है कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पूर्व पुरूष गोरधनराम के नाम से खेत **खसरा सं. 78 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 79 रकबा 164.14 बीघा, खसरा सं. 669/345 रकबा 13.19 बीघा, खसरा सं. 671/345 रकबा 07.18 बीघा,**

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

खसरा सं. 695/410 रकबा 14.07 बीघा, कुल रकबा 201.04 बीघा भूमि मौजा ईशरोल तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में हुई है। वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पूर्व पुरूष गोरधनराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने बदमाशी पूर्वक स्वयं को गोरधनराम का वारिश बताकर अपने नाम से नामान्तकरण भरवा दिया। जबकि वादीनी गोरधनराम की विधिक वारिश है तथा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा की हकदार है। अतः उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी को 1/5 हिस्सा की खातेदार घोषित करना न्यायालय के मतानुसार न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायाहित में वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा ईशरोल, तहसील चौहटन के खसरा सं. 78 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 79 रकबा 164.14 बीघा, खसरा सं. 669/345 रकबा 13.19 बीघा, खसरा सं. 671/345 रकबा 07.18 बीघा, खसरा सं. 695/410 रकबा 14.07 बीघा, कुल रकबा 201.04 बीघा** भूमि में वादीनी को 1/5 हिस्सा का खातेदार में घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन सत्यमेव जयते

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:43 IST
Reason: SelfAttested